राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

एस.बी. आपराधिक विविध (पे.) संख्या 4845/2024

1. संगीता सचदेव पुत्री अशोक तनवानी, उम्र लगभग 28 वर्ष साल, निवासी 302 अगन अपार्टमेंट टिटिहाल रोड जिला वलसाड, गुजरात
2. अशोक तनवानी पुत्र केवल राम तनवानी, उम्र लगभग 57 वर्ष साल, निवासी 302 अगन अपार्टमेंट टिटिहाल रोड जिला वलसाड, गुजरात
3. मधु तनवानी पत्नी अशोक तनवानी, उम्र लगभग 49 वर्ष साल, निवासी 302 अगन अपार्टमेंट टिटिहाल रोड जिला वलसाड, गुजरात
4. राजकुमार तनवानी पुत्र अशोक तनवानी, उम्र लगभग 26 वर्ष साल, निवासी 302 अगन अपार्टमेंट टिटिहाल रोड जिला वलसाड, गुजरात

----अपीलार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान राज्य, पी.पी. के माध्यम से
2. विकास सचदेव पुत्र कैलाश, निवासी शिवम विहार, तितारडी, जिला उदयपुर

----प्रतिवादीगण

---

अपीलार्थी(गण) के लिए : श्री त्रिलोक सिंह

प्रतिवादी(गण) के लिए : श्री विक्रम शर्मा, पी.पी.
श्री कैलाश चौधरी
प्रतिवादी संख्या 2 के लिए।

---

**माननीय श्री न्यायमूर्ति अरुण मोंगा**

**आदेश (मौखिक)**

**05/08/2024**

1. याचिकाकर्ताओं ने आईपीसी की धारा 420, 406 और 379 के तहत अपराधों के लिए पुलिस स्टेशन सवीना, जिला उदयपुर में दर्ज एफआईआर संख्या 126/2024 दिनांक 07.03.2024 को रद्द करने की मांग की है।

2. मामले के प्रासंगिक तथ्य, अनावश्यक विवरणों से रहित, यह हैं कि याचिकाकर्ता नंबर 1 (पत्नी) और प्रतिवादी नंबर 2 / शिकायतकर्ता (पति) का विवाह 22.04.2023 को उदयपुर में हुआ था। 19.05.2023 को, शिकायतकर्ता को उसके सास-ससुर का फोन आया कि वे अपनी बेटी को उसके मायके ले जाने के लिए आ रहे हैं। वे आए, 3 दिन उदयपुर में रुके और अपनी बेटी को साथ ले गए। 04.07.2023 को, शिकायतकर्ता ने अपनी पत्नी से संपर्क किया, लेकिन उसने जवाब नहीं दिया और उसका नंबर भी ब्लॉक कर दिया। शिकायतकर्ता ने इस प्रकार एफआईआर दर्ज कराई है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि उसकी पत्नी ने उसके साथ धोखाधड़ी की है। उसने उसके सारे पैसे और गहने भी हड़प लिए हैं। उसकी पत्नी के इस कृत्य से शिकायतकर्ता की पारिवारिक छवि पूरी तरह से धूमिल हुई है। पत्नी एफआईआर से व्यथित है, इसलिए उसके और उसके परिवार द्वारा यह याचिका दायर की गई है।

3. उपरोक्त पृष्ठभूमि में, मैंने संबंधित पक्षों के विद्वान वकीलों की दलीलें सुनी हैं और मामले की फाइल देखी है।

4. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने अन्य बातों के साथ-साथ यह तर्क दिया है कि संबंधित एफआईआर में याचिकाकर्ताओं के खिलाफ लगाए गए आरोप झूठे और निराधार हैं। उनका तर्क है कि शिकायतकर्ता ने स्वयं और उसके परिवार के सदस्यों ने याचिकाकर्ता संख्या 1 (पत्नी) की पिटाई की थी और अपनी जान बचाने के लिए संबंधित एफआईआर दर्ज कराई गई थी। इसलिए, एफआईआर स्पष्ट रूप से कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग है और याचिकाकर्ताओं के खिलाफ प्रतिशोध लेने के लिए गुप्त उद्देश्य से दर्ज कराई गई थी। इसलिए, इसे रद्द किया जाना चाहिए और अपास्त किया जाना चाहिए।

4.1 यह कहा गया है कि संबंधित एफआईआर याचिकाकर्ताओं के खिलाफ झूठे आरोपों पर दर्ज कराई गई थी। जांच के दौरान, शिकायतकर्ता की मिलीभगत से पुलिस याचिकाकर्ताओं के खिलाफ बलपूर्वक कदम उठा सकती है।

4.2 याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्क, वास्तव में, एफआईआर को रद्द करने की मांग करने वाली याचिका में लिए गए आधारों के समान ही हैं। उन्हें नीचे संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है:

(ए) एफआईआर स्पष्ट रूप से न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग है, जो याचिकाकर्ताओं के खिलाफ प्रतिशोध लेने के लिए गलत इरादे से पूरी तरह से झूठी है और इसलिए इसे रद्द किया जाना चाहिए और अपास्त किया जाना चाहिए।

(बी) एफआईआर के अवलोकन से ही पता चलता है कि याचिकाकर्ताओं ने आईपीसी की दी गई धाराओं के तहत कोई अपराध नहीं किया है।

(सी) एफआईआर के विवरण से यह स्पष्ट रूप से पता चलता है कि याचिकाकर्ताओं ने प्रतिवादी संख्या 2 से कोई अवैध लाभ नहीं उठाया है। यह केवल शिकायतकर्ता और याचिकाकर्ता संख्या 1 के बीच एक वैवाहिक विवाद है।

(डी) याचिकाकर्ता प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। उन्होंने शिकायतकर्ता को धोखा नहीं दिया है। उन्होंने एफआईआर में झूठे आरोप लगाए हैं। वर्तमान एफआईआर में वर्णित तथ्य मनगढ़ंत हैं। इसलिए आक्षेपित एफआईआर और उसके बाद की पूरी कार्यवाही रद्द की जानी चाहिए।

5. विद्वान लोक अभियोजक और शिकायतकर्ता के विद्वान वकील ने तर्क दिया कि जांच अभी भी चल रही है और सच्चाई इसके दौरान सामने आएगी। उन्होंने आग्रह किया कि एफआईआर को केवल इस अदालत के समक्ष दायर याचिका/शपथपत्र की सामग्री के आधार पर रद्द नहीं किया जा सकता, जिसकी अभी जांच होनी है।

6. एफआईआर को सुनने और उसका अध्ययन करने के बाद, मैं याचिका में लिए गए रुख और याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकीलों की दलीलों से सहमत हूं। कारण जानना ज्यादा मुश्किल नहीं है। निश्चित रूप से, याचिकाकर्ता नंबर 1 शिकायतकर्ता की पत्नी है, जिसके खिलाफ आरोप है कि उसने अपने वैवाहिक घर को छोड़ते समय उसके परिवार के सभी गहने और उसका निजी सामान ले लिया है।

7. एफआईआर की सामग्री और विवाद की प्रकृति को देखने के बाद, जो पूरी तरह से वैवाहिक प्रकृति का है, यह साबित होता है कि संबंधित एफआईआर पुलिस शक्तियों के पूर्ण दुरुपयोग में दर्ज की गई है और केवल पति और पत्नी के बीच मतभेदों से उत्पन्न व्यक्तिगत स्कोर को निपटाने के लिए प्रेरित है।

8. कहने की जरूरत नहीं है कि जब पत्नी अपने वैवाहिक घर को छोड़ती है, तो वह अपने निजी सामान और अपना स्त्रीधन साथ ले जाने की हकदार थी। एफआईआर में शिकायतकर्ता के पैसे और आभूषणों का कोई विवरण नहीं है जो उसकी पत्नी द्वारा उसे सौंपे गए या अन्यथा ले लिए गए। इसलिए, संबंधित एफआईआर में शिकायतकर्ता द्वारा लगाए गए आरोपों के आधार पर आईपीसी की धारा 420, 406, 384, 388, 389, 120-बी के तहत कोई अपराध नहीं बनता है।

9. उपरोक्त के मद्देनजर, याचिका को अनुमति दी जाती है। पुलिस स्टेशन सवीना, जिला उदयपुर में आईपीसी की धारा 420, 406 और 379 के तहत दर्ज एफआईआर संख्या 126/2024 दिनांक 07.03.2024 को रद्द किया जाता है।

**(अरुण मोंगा),जे**

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" के जरिये अनुवादक की सहायता से किया गया है ।
अस्वीकरण - यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा मे अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी आधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा एवं निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।